

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर

क्र./523/समग्र शिक्षा/पीएमश्री/स्थापना

दिनांक. 29.11.2023

//विज्ञापन//

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/ 4771/ समग्र शिक्षा/ पीएमश्री योजना /2023 दिनांक 28.11.2023 के तहत जिले में संचालित पीएमश्री विद्यालयों में अंशकालीन योग शिक्षक /खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति किया जाना है इस हेतु दिनांक 12.02.2024 तक आवेदन पत्र कार्यालय जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कक्ष क्रमांक 26 में आमंत्रित किये जाते है। भर्ती एवं पात्रता की शर्तों तथा आवश्यक शैक्षिक आर्हता संबंधी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है।

भर्ती हेतु रिक्त पद का विवरण

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	दर्ज संख्या	रिक्त पद	प्रतिमाह मानदेय
1	ANTAGARH	GOVT. PRIMARY SCHOOL UPARPARA SARANDI	76	1	10000
2	ANTAGARH	GOVT. PRIMARY SCHOOL ANTAGARH	84	1	10000
3	BHANUPRTAPPUR	GOVT. PRIMARY SCHOOL SANJAYPARA BHANUPRTAPPUR	175	1	10000
4	BHANUPRTAPPUR	GOVT. PRIMARY SCHOOL BOGAR	84	1	10000
5	CHARMA	GOVT. PRIMARY SCHOOL DARGAHAN	77	1	10000
6	DURGUKONDAL	GOVT. BALAK PRIMARY SCHOOL KODEKURSE	59	1	10000
7	KANKER	GOVT. PRIMARY SCHOOL KEVTINTOLA	75	1	10000
8	KOYLIBEDA	GOVT. PRIMARY SCHOOL P.V. 86	80	1	10000
9	NARHARPUR	GOVT. BOYS PRIMARY SCHOOL SARONA	127	1	10000

योग शिक्षक/ खेल शिक्षक/ प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता:-

- शासकीय / मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा डिग्री या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री के आधार पर
- शासकीय/मान्यता प्राप्त संस्था से योग प्रशिक्षक हेतु योग से संबंधित प्रमाण-पत्र।
- मानदेय - अंशकालीन योग प्रशिक्षक/ खेल शिक्षक / प्रशिक्षकों हेतु निश्चित एवं एक मुश्त मानदेय रु 10000.00(अक्षरी दस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह दिया जायेगा, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

-: नियम एवं शर्तें :-

1. उम्मीदवार को अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थाई एवं निर्धारित अवधि तीन माह के लिए रखा जायेगा।
2. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा। और करार अनुबंध के उल्लघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा।
3. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद ही निर्धारित अवधि में कर्तव्य में शामिल होना होगा अन्यथा अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दिया जायेगा।
4. चयन समिति को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में अथवा किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकारी होगा।
5. अपूर्ण आवेदन/निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।
6. उक्त नियुक्ति जिले में संचालित पीएमश्री विद्यालयों में किया जाना है।

7. एक अभ्यर्थी केवल एक विद्यालय हेतु आवेदन कर सकता है एक से अधिक विद्यालय हेतु आवेदन करने पर अभ्यर्थी को अप्रात्र कर दिया जायेगा।

-: योग शिक्षक/खेल प्रशिक्षक का दायित्व :-

1. पीएमश्री शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को आवश्यकता अनुसार उम्र आधारित योग/ खेल का प्रशिक्षण दिया जाना है।
2. संस्था प्रमुख द्वारा दिये जाने वाले योग/ खेल से संबंधित निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

-: आवेदन जमा करने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन, निर्धारित प्रारूप में किया जावे तथा अभिप्राणित छाया प्रति संलग्न कर कार्यालय, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में दिनांक 12/02/2024 तक जमा किया जायेगा।
2. आवेदन को लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम एवं विद्यालय उल्लेख किया जाना है।


जिला शिक्षा अधिकारी

जिला उत्तर बस्तर कांकेर

दिनांक. 29/01/24

क्र. 523/समग्र शिक्षा/पीएमश्री/स्थापना
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर